भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 533
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है ।
1 श्रावण, 1947 (शक)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग

533. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग से जुड़े प्रमुख जोखिमों जैसे डीपफेक, एल्गोरिथम बायस, स्वचालित निगरानी या साइबर धोखाधड़ी की पहचान की है और उनसे निपटने के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निजी संस्थाओं और विदेशी संगठनों दोनों द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अपराधों को दंडित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून, संशोधन या विनियमन प्रस्तावित या अधिनियमित किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी एजेंसी (जैसे सीइआरटी-इन, यूआईडीएआई, या साइबर अपराध इकाइयां) को कृत्रिम बुद्धिमत्ता- समर्थित खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने के लिए सशक्त या प्रशिक्षित किया गया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में अब तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित गलत कार्यों के लिए कोई अभियोजन, दंड या कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ड.) किसी व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभिशासन या नैतिकता संबंधी रूपरेखा को अंतिम रूप देने और लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): भारत की एआई रणनीति, माननीय प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत-केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना और सभी भारतीयों के लिए आर्थिक और रोज़गार के अवसर सृजित करना है।

<u>वर्तमान में भारत का एआई ईकोसिस्टमः</u>

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी ईकोसिस्टम मजबूत है। इससे 250 बिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व सृजित होता है और यह 6 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है।

स्टेनफोर्ड एआई रैंकिंग जैसी वैश्विक रैंकिंग एजेंसी ने भारत को एआई कौशल, क्षमताओं, और एआई नीतियों के उपयोग के मामले में शीर्ष देशों में स्थान दिया है। भारत जिटहब एआई परियोजनाओं में दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी भी है, जो इसके सक्रिय विकासकर्ता समुदाय को दर्शाता है।

भारत की एआई रणनीति

भारतीय एआई रणनीति का उद्देश्य भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। सरकार ने मार्च, 2024 को इंडियाएआई मिशन शुरू किया। यह भारत के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित एक मजबूत और समावेशी एआई ईकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक पहल है।

सुरक्षित और विश्वसनीय एआई

- उत्तरदायी एआई अंगीकरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शासन रूपरेखा के साथ नवाचार को संतुलित करना।
- प्रथम चरण में, मशीन अनलर्निंग, पूर्वाग्रह शमन, गोपनीयता-संरक्षण मशीन लर्निंग, व्याख्यात्मकता, ऑडिटिंग टूल्स और गवर्नेंस परीक्षण रुपरेखा जैसे मुद्दों का निवारण करने वाली 8 परियोजनाओं का चयन किया गया है।
- द्वितीय चरण में 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- इंडियाएआई सुरक्षा संस्थान की स्थापना के लिए भागीदार संस्थानों को ऑनबोर्ड करने के लिए 09 मई 2025 को रुचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत विधिक उपबंध:

- धारा 66ग (पहचान की चोरी के लिए दंड) गलत सूचना, डीपफेक, छल करके पहचान की चोरी या प्रतिरूपण से संबंधित है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66घ प्रतिरूपण द्वारा छल करके कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग को अपराध घोषित करती है।
- धारा 66ङ में किसी व्यक्ति के निजी अंग का चित्र उसकी सहमति के बिना खींचने और प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड का प्रावधान है।
- धारा 67क और 67ख में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या पारेषण करना, जो डीपफेक तकनीकी का उपयोग करके सृजित की जा सकती है, एक दंडनीय अपराध है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत विधिक उपबंध:

- बीएनएस की धारा 111, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किसी आर्थिक अपराध, साइबर-अपराध सहित कोई सतत् विधिविरुद्ध क्रियाकलाप को दंडित करती है।
- बीएनएस के तहत कई अन्य धाराएं जैसे धारा 318 (छल), 319 (प्रतिरूपण द्वारा छल), 353 (लोकहानि), 356 (मानहानि) भी प्रतिरूपण द्वारा छल या धोखाधड़ी जैसे साइबर-अपराध से संबंधित हैं।

डिजिटल वैयिक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- यह डेटा न्यासियों की डिजिटल वैयिक्तिक डेटा की सुरक्षा करने, उन्हें जवाबदेह ठहराने, डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021")

- केंद्र सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद आईटी नियमावली, 2021 अधिसूचित की है।
- सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में सोशल मीडिया मध्यस्थों और प्लेटफार्मों सहित मध्यस्थों पर विशिष्ट कानूनी दायित्व डाले गए हैं, ताकि वे प्रतिबंधित गलत सूचना, स्पष्ट रूप से झूठी सूचना और डीपफेक को शीघ्रता से हटा सकें।
- कानूनी दायित्वों का पालन करने में बिचौलियों के विफल होने की स्थिति में, वे मौजूदा कानूनों के तहत विहित परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

- आईटी नियमावली 2021 के तहत**,** मध्यस्थों द्वारा एक शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ पीड़ित को प्रभावित करने वाली विकृत या कृत्रिम रूप से सृजित छवियों से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए 24 घंटे की समय-सीमा प्रदान करता है। शिकायत निवारण से संतुष्ट न होने पर**,** पीड़ित व्यक्ति शिकायत अपील समिति से संपर्क कर सकते हैं।
- गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित पोर्टल [cybercrime.gov.in] लॉन्च किया है और एक टोल-फ्री नंबर 1930 भी शुरू किया है।

<u>डीपफेक से निपटने के लिए अतिरिक्त उपाय:</u>

- भारत सरकार समय-समय पर मध्यस्थों/प्लेटफार्मों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारभूत मॉडल/लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम)/जेनरेटिव एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम के उपयोग पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परामर्शी निदेश जारी करती है।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) भी एआई के दुरुपयोग से जुड़े प्रमुख जोखिमों का सक्रिय रूप से समाधान कर रहा है, इसमें डीपफेक, एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह, साइबर धोखाधड़ी और स्वचालित प्रमाणीकरण प्रणालियों का दुरुपयोग शामिल है।
- भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण हमलों सहित नवीनतम साइबर खतरों/सुभेद्यताओं के बारे में चेतावनी और परामर्श जारी करता है तथा कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए निरंतर आधार पर प्रति उपाय करता है।

सरकार ने प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में भारत-विशिष्ट नियामक एआई ढाँचे के लिए एआई पर एक सलाहकार समूह का गठन किया है। इसमें शिक्षा क्षेत्र, उद्योग जगत और सरकार के विभिन्न हितधारक सदस्य शामिल हैं।

*****